इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2012—पौष 22, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ-बी-1-53-2011-2-पांच (3).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. (2) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाईन के अतिरिक्त माल्ट मदिरा सहित सभी विदेशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबिल) जिसका मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया जाए, के प्रथम बार पंजीयन पर पंजीयन फीस के रूप में रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पंजीयन नवीकरण फीस के रूप में रुपये 2,500/- (रुपये दो हजार पांच सौ केवल) पेकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पीट, केन इत्यादि) उपयोगिता के आधार पर (जैसे सिविल, मिलिट्री, स्थानीय, निर्यात इत्यादि) एवं पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180, 90, 60 मिलीलीटर इत्यादि) अलग-अलग विहित करती है.

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा इसके पश्चात् की अवधि के लिए प्रवृत्तनीय होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. बी-1-53-2011-2-पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-53-2011-2-पांच (3), दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th January 2012

No.F-B-1-53-2011-2-V-(3).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) and (3) of rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's Notification No. (2) B-1-36-2009-2-V, Dated 3rd April, 2010 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes Rs. 25,000/- (Rupees Twenty five thousand only) as registration fee at the time of first registration and registration renewal fee of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand five hundred only) for every financial year or part thereof, for each label of foreign liquor including malt liquor and excluding wine, which may be sold in or transported in or exported from or imported into State of Madhya Pradesh, separately packing material wise (viz glass, PET, can etc.) as per usage (viz civil, military, local, export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180, 90, 60 milliliters etc.).

2. This Notification shall be enforceable for financial year 2012-13 and thereafter.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.